

प्रेस नोट दिनांक 28.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के अभियोग में 03 नामजद वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 03 अदद लाठी/डंडे बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 408/2026 से संबंधित 03 नामजद वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.10.2026 को सुबह थाना कुण्डा क्षेत्रांतर्गत ग्राम दर्जियाना मजरे बरई निवासी मुख्तार अहमद अपने दरवाजे पर बैठे थे, तभी पड़ोसी मो0 शमीम व मो0 कलीम द्वारा लकड़ी का दरवाजा खोलकर जाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ने अपने अन्य साथियों मो0 शमशाद, मो0 शानू एवं मो0 कैफ को बुला लिया तथा सभी ने एकराय होकर लोहे की रॉड, लाठी-डंडों से मुख्तार अहमद, उनके भाई आशिक अली एवं पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे मुख्तार अहमद व उनके भाई के सिर में गंभीर चोटें आईं तथा आशिक अली बेहोश हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 0408/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 110, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का0 कुलदीप माथुर, रिक्रूट का0 अभय यादव, रिक्रूट का0 रोहित एवं रिक्रूट का0 उदय प्रताप द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत सेमरी चकादर अली तिराहे से मु0अ0सं0 408/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 110 बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों- मो0 कलीम पुत्र मो0 शहीद, मो0 शमीम पुत्र मो0 शहीद एवं मो0 कैफ पुत्र मो0 कलीम निवासीगण दर्जियाना मजरे बरई, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर सेमरी-खेमई पुरवा कच्चे मार्ग स्थित आम के बाग से घटना में प्रयुक्त 03 अदद लकड़ी की लाठी/डंडे बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- मो0 कलीम पुत्र मो0 शहीद, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी दर्जियाना मजरे बरई, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
- 2- मो0 शमीम पुत्र मो0 शहीद, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी दर्जियाना मजरे बरई, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
- 3- मो0 कैफ पुत्र मो0 कलीम, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी दर्जियाना मजरे बरई, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त 03 अदद लकड़ी की लाठी/डंडा।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का0 कुलदीप माथुर, रिक्रूट का0 अभय यादव, रिक्रूट का0 रोहित एवं रिक्रूट का0 उदय प्रताप, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पिता पर ईंट से जानलेवा हमला करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा पिता पर ईंट से जानलेवा हमला करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त धीरज वर्मा को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी राजकली पत्नी शंकर लाल वर्मा निवासी ग्राम कोड़री कटकावली, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, दिनांक 23.10.2026 की रात्रि करीब 12:30 बजे उनके पति शंकर लाल वर्मा सो रहे थे। इसी दौरान उनके पुत्र धीरज वर्मा द्वारा ईंट से सिर पर हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई तथा आंख भी चोटिल हो गई। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया, जहां से उन्हें स्वरूप रानी अस्पताल, प्रयागराज रेफर किया गया। उक्त प्रकरण में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 347/2026, धारा 109(1)/117(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर के नेतृत्व में उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह का0 सौरभ यादव, का0 विशाल यादव एवं का0 आकाश कुमार पाल द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 28.10.2026 को ग्राम पंचायत भवन कटकावली के पास से अभियुक्त धीरज वर्मा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक ईंट बरामद कर नियमानुसार कब्जे पुलिस में लेकर सील किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त धीरज वर्मा ने बताया कि उसे शक था कि उसके पिता का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है, इसी कारण उसने अपने पिता के सिर पर ईंट से वार किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धीरज वर्मा पुत्र शंकर लाल वर्मा निवासी ग्राम कोड़री कटकावली, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त 01 अदद ईंट।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह का0 सौरभ यादव, का0 विशाल यादव एवं का0 आकाश कुमार पाल, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव, का0 सन्तोष कुमार सिंह, का0 चन्दन यादव, रि0का0 कृष्ण मोहन एवं रि0का0 अमन पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत जरगोइया पुलिया, बहद ग्राम जामताली के पास से अभियुक्त राजेश सिंह पुत्र स्व0 श्याम बहादुर सिंह, निवासी ग्राम जामताली (बंधवा), थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 521/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- राजेश सिंह पुत्र स्व0 श्याम बहादुर सिंह, निवासी ग्राम जामताली (बंधवा), थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव, का0 सन्तोष कुमार सिंह, का0 चन्दन यादव, रि0का0 कृष्ण मोहन एवं रि0का0 अमन पाण्डेय, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा विद्युत अधिनियम विशेष न्यायालय के वाद में 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेशल कोर्ट से संबंधित वाद में 01 वारंटी अभियुक्त रवि कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 28.10.2026 को उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह का0 उपेन्द्र यादव एवं का0 आनंद गौड़ द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था ड्यूटी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रवि कुमार वर्मा पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम लोनियामऊ, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि कुमार वर्मा पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम लोनियामऊ, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

न्यायालय/वाद का विवरण-

मा0 न्यायालय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेशल कोर्ट, मु0अ0सं0 135/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, राज्य बनाम रवि कुमार वर्मा।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह का0 उपेन्द्र यादव एवं का0 आनंद गौड़, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

जनपदीय साइबर सेल, प्रतापगढ़

PRATAPGARH POLICE | CRACKDOWN ON CYBER CRIMINALS

साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 19 राज्यों से संबंधित साइबर शिकायतों के मामलों में 53 अभियुक्त गिरफ्तार-

लगभग ₹500 करोड़ की मनी ट्रेल से जुड़े साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन एवं नोडल अधिकारी साइबर/अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराधों की रोकथाम तथा

साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है।

प्रतापगढ़।

जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर दिनांक 18.04.2026 से 27.10.2026 तक साइबर अपराध से संबंधित पंजीकृत अभियोगों में कार्रवाई करते हुए कुल 53 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन मामलों से संबंधित साइबर शिकायतें देश के 19 राज्यों से जुड़ी हैं। उक्त प्रकरणों में लगभग ₹500 करोड़ की मनी ट्रेल सामने आई है। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराध से संबंधित अभियोगों में उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है।

कार्यवाही के प्रमुख बिंदु—

कुल गिरफ्तार अभियुक्त: 53

साइबर शिकायतों से संबंधित राज्य: 19

मनी ट्रेल: लगभग ₹500 करोड़

कार्रवाई की अवधि: 18.04.2026 से 27.10.2026

कार्रवाई का क्षेत्र: जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर पंजीकृत साइबर अपराध से संबंधित अभियोग।

जनपद पुलिस की आमजन से अपील—

प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर अपराधों के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते का विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड की जानकारी, ओटीपी, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध कॉल पर भरोसा करने तथा लालच में आकर धनराशि हस्तांतरित करने से बचें।

यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी अथवा वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो बिना विलंब साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल <https://www.cybercrime.gov.in/> पर शिकायत करें।

प्रतापगढ़ पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम तथा साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।

“सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।”

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस